BHADOHI POLICE

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-05.02.2025 **जनपद भदोही**

◆श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में साइबर क्राइम पुलिस थाना भदोही द्वारा पीड़ित के बैंक खाते से फ्रॉड की गई धनराशि ₹3,25,157/-(तीन लाख पच्चीस हजार एक सौ सत्तावन रुपये) धनराशि कराया गया वापस

◆साइबर फ्रॉड के संबंध में थाना ज्ञानपुर पर पंजीकृत अभियोग का सफल अनावरण

◆स्थानान्तरित धनराशि अपने बैंक खाते में पाकर पीड़ित द्वारा किया गया भदोही पुलिस का हृदय से धन्यवाद

जनपद में हो रहे साइबर अपराध की रोकथाम हेतु श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा साइबर क्राइम पुलिस थाना को किसी पीड़ित व्यक्ति के साथ हुए धोखाधड़ी या सोशल साइट के दुरुपयोग पर त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देश के क्रम में आवेदक श्री छेदीलाल पुत्र महादेव प्रसाद निवासी विकास भवन कालोनी थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही के साथ पार्सल भेजने के नाम पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी कर भिन्न-भिन्न खातों में ₹7,48,345/- फ्राड कर लिया गया था, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 05.09.2023 को थाना ज्ञानपुर पर मु0अ0सं0- 162/2023 धारा 406,419, 420,506 भा0द0वि0 अभियोग पंजीकृत किया गया। साइबर क्राइम पुलिस थाना द्वारा उक्त पंजीकृत अभियोग का अवलोकन कर त्वरित कार्यवाही करते हुए ₹3,25,157/-(तीन लाख पच्चीस हजार एक सौ सत्तावन रुपये) की धनराशि को पीड़ित के बैंक खाते में वापस कराया गया। पीड़ित द्वारा अपने खाते से गयी धनराशि को वापस पाकर पुलिस अधीक्षक भदोही व साइबर क्राइम पुलिस थाना टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भदोही पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

साइबर फ्राड़ के बचने के लिए सावधानियां-

1.साइबर फ्राड होते ही तत्काल 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करें।

2.किसी अन्जान व्यक्ति के कहने पर कोई एप डाउनलोड़ न करें।

3.वर्क फ्राम होम, शेयर ट्रेडिंग करने से पहले सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ही उपयोग करें।

4.कृपया किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा पैसो की मांग किये जाने पर अच्छे से जाँच ले एवं अपने खाते का बैलेंस चेक कर ले, किसी के बहकावे में न आये।

5.अज्ञात व्यक्ति/अज्ञात मोबाइल नम्बर द्वारा भेजी गयी लिंक को क्लिक न करें।

साइबर क्राइम पुलिस टीम भदोही-

1.निरी0 श्री श्याम बहादुर यादव प्रभारी साइबर क्राइम पुलिस थाना जनपद भदोही ।
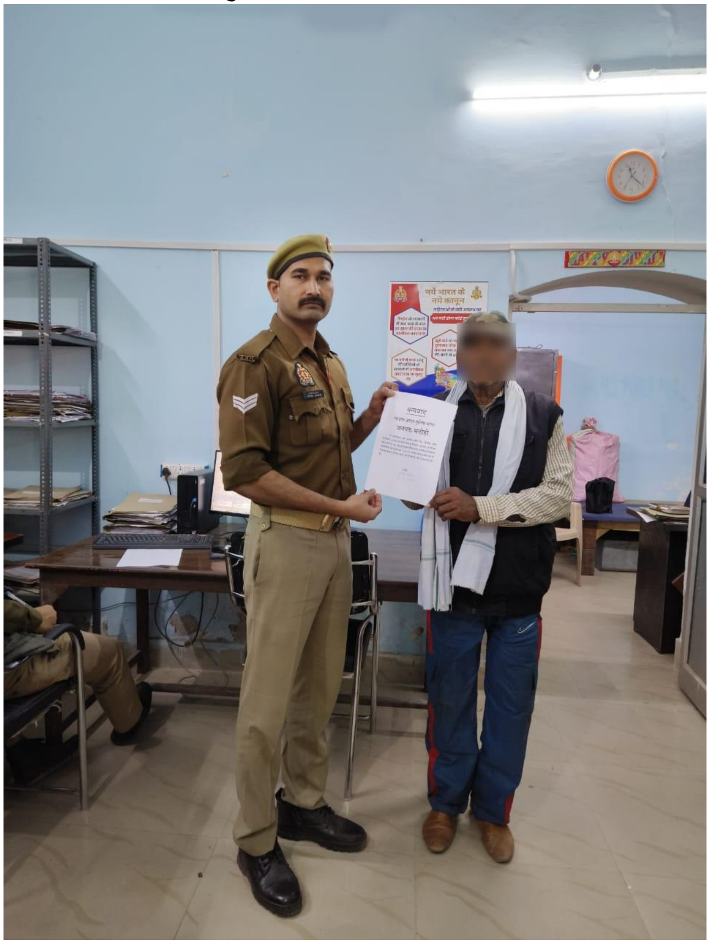
2.हे0का0 गोवर्धन कुशवाहा साइबर क्राइम पुलिस थाना ।